न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/83/2021	2021/201	16.11.2021	26.07.2022

1. सरसा माता चैरीटेबल ट्रस्ट भानगढ जरिये अध्यक्ष पुरूषोत्तम पुत्र श्री राधेश्याम जाति महाजन, निवासी 690 बरकत नगर जयपुर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार टहला तहसील राजगढ जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.09.2021 उपतहसीलदार टहला प्रकरण संख्या 701/2020

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील उपतहसीलदार टहला के निर्णय दिनांक 22.09.2021 प्रकरण संख्या 701/2020 जिसके द्वारा संवत 2077 वाके ग्राम भानगढ की आराजी खसरा न0 194 रकबा 4.85 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में से अतिक्रमित रकबा 50 ऐयर है0 पर चारदीवारी लगाकर दो मंजिला भवन एवं एक मंजिला भवन टीनशेड बनाकर अतिक्रमण करने पर बेदखली की कार्यवाही किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अर्न्तगत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत नायब तहसीलदार टहला के समक्ष पेश कर कथन किया गया कि आराजी खसरा न0 194 क्षेत्रफल 0.50 है0 वाके ग्राम भानगढ में संवत 2077 में अतिक्रमण कर चारदीवारी लगाकर दो मंजिला भवन एवं एक मंजिला भवन टीनशेड बनाकर अतिक्रमण किया है जिसपर तहत अदालत ने अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए। जिस नोटिस की कोई तामील अपीलान्ट को नहीं कराई गई और गलत तरीके से खिलाफ कानून दिनांक 22.09.2021 के बेदखली व पैनल्टी कायम करने के आदेश जारी किए गए जिस निर्णय के विरूद्ध अपील पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु नोटिस की तामील नहीं कराई बल्कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

नोटिस की तामील कैलाशचंद पुत्र प्रभुदयाल गुप्ता को दी गई जिस तामील को अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अपना माइन्ड का कतई इस्तेमाल नहीं किया गया और छपे हुए फार्म पर निर्णय पारित किया गया है जो कानूनन विधिसम्मत निर्णय की तारीफ में नहीं आता। नोटिस में अपीलान्ट अध्यक्ष की जाति गलत लिखी हुई है तथा निर्णय में भी जाति गलत दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान भी रिकॉर्ड पर नहीं लिए गए और न मौके का अवलोकन किया गया। सरसा माता का मन्दिर सैंकडों साल पुराना बना हुआ है तथा पटवारी हल्का ने जो निर्माण बताया है वह भी पचास साल पुरानी धर्मशाला है संवत 2077 में निर्माण कर अतिक्रमण करना गलत बताया गया है। भारत वर्ष में सभी देवियां पहाडों पर स्थित हैं तथा वहीं पर मन्दिर के साथ श्रद्धालु भक्तजन बाहर अन्य राज्यों से आते हैं। वो लोग रात्रि विश्राम करते हैं जो धर्मशाला काफी पुरानी बनी हुई है। जिस जगह धर्मशाल बनी हुई है वह गैर मुमकिन नदी में नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार टहला तहसील राजगढ का निर्णय दिनांक 22.09.2021 को अपास्त किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का गोला का बास द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 07.09.2020 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया गया जो सभी अतिक्रमियों को विधिवत तामील होकर संलग्न पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका (फर्द अहकाम) पर अपीलान्ट/अतिक्रमी के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक 22.09.2021 को उपस्थित नहीं होने पर अपीलान्ट अतिक्रमियों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही में अतिक्रमियों के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मौका जांच रिपोर्ट नायब तहसीलदार टहला से ली गई। नायब तहसीलदार मालाखेडा के पत्रांक 1337 दिनांक 24.11.2021 के द्वारा पटवारी हल्का गोला का बास की मूल मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में अवगत कराया गया की सरसामाता चैरीटेबल ट्रस्ट भानगढ जरिये अध्यक्ष पुरूषोत्तम पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी जयपुर आराजी खसरा द्वारा आराजी खसरा न0 194 रकबा 4.85 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में से अतिक्रमित रकबा 50 ऐयर है0 पर चारदीवारी लगाकर दो मंजिला भवन एवं एक मंजिला भवन टीनशेड बनाकर कब्जा किया हुआ है।

हमने न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका (फर्द अहकाम) दिनांक 26.07.2021, 24.08.2021 एवं 13.09.2021 पर अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा हस्ताक्षर किए हुए हैं जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को यह नोटिस संज्ञान में है अतः अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि उसे नोटिस तामील नहीं हुआ है। अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 194 रकबा 4.85 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में से अतिक्रमित रकबा 50 ऐयर है0 पर पटवारी हल्का की वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 23.11.2021 में चारदीवारी लगाकर दो मंजिला भवन एवं एक मंजिला भवन टीनशेड बनाकर

अतिरिक्त ग्राम कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

अतिक्रमण होना पाया जाता है एवं जमाबंदी संवत 2070–75 में आराजी खसरा न0 194 रकबा 4.85 है0 गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड है। इसलिए अपीलान्ट का अतिक्रमण किया जाना सिद्ध पाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टहला के निर्णय दिनांक 22.09.2021 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टहला के निर्णय दिनांक 22.09.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)